Date – 19 August 2022

सहकारी संघवाद

भारत के प्रधान मंत्री ने हाल ही में राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता पर बल दिया।

संघवाद पर पीएम:

- जबकि संघ और राज्यों की अलग-अलग योजनाएँ हो सकती हैं, या काम करने की अलग-अलग शैलियाँ हो सकती हैं, एक राष्ट्र के लिए सपने समान रहेंगे।
- उन्होंने भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए राज्यों की सराहना की।
- प्रधानमंत्री ने प्रतिस्पर्धी, सहकारी संघवाद का एक मॉडल तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया।
- ऐसे कई राज्य हैं जिन्होंने देश को आगे ले जाने में बड़ी भूमिका निभाई है, और कई क्षेत्रों में अनुकरणीय कार्य किया है। वे हमारे संघवाद को ताकत देते हैं।

प्रतिस्पर्धी संघवाद की ओर कदम:

सरकार के सार्वजनिक नीति थिंक टैंक NITI Aayog – को सहकारी संघवाद के जनादेश के साथ एक संस्था के रूप में स्थापित किया गया है – ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विभिन्न मापदंडों पर उन्हें रैंक करने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

बेंचमार्क सेट करना

प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए कुछ सूचकांक हैं.....

- स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक
- राज्य स्वास्थ्य सूचकांक
- समग्र जल प्रबंधन सूचकांक
- सतत विकास लक्ष्य सूचकांक
- भारत नवाचार सूचकांक
- निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक

राज्यों की स्टार्ट-अप रैंकिंग*

शीर्ष प्रदर्शक

2018	2019	2021
गुजरात	गुजरात	गुजरात
	अंडमान & निकोबार आइसलैंड	कर्नाटक मेघालय

सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता

2018	2019	2021
केरल	कर्नाटक	कर्नाटक
महाराष्ट्र	केरल	केरल
ओडिशा		ओडिशा
तेलंगाना		राजस्थान
जम्मू & कश्मीर		

*राज्यों को महामारी के कारण 2020 में रैंक नहीं किया गया था
स्रोत:DPIIT

भारत नवाचार सूचकांक

रैंक	2019	2020	2021
1.	कर्नाटक	कर्नाटक	कर्नाटक
2.	तमिलनाडु	महाराष्ट्र	तेलंगाना
3.	महाराष्ट्र	तमिलनाडु	हरियाणा

- आयोग हर महीने आकांक्षी जिलों के प्रदर्शन पर रैंकिंग भी जारी करता है।
- एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चार साल पहले देश के 112 सबसे अविकसित जिलों को प्रभावी ढंग से बदलने के लिए शुरू किया गया था।
- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग भी 2018 से स्टार्ट-अप पर राज्यों की रैंकिंग कर रहा है। यह अभ्यास राज्यों को स्टार्ट-अप बनाने और व्यवसाय करने में आसानी के आधार पर सुविधा प्रदान करता है।
- केंद्र एक बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान भी जारी करता है, जिसके तहत राज्यों को 'टॉप अचीवर्स', 'अचीवर्स' या 'एस्पिरर्स' के रूप में वर्गीकृत और रैंक किया जाता है। जीएसटी ने इस संघीय ढांचे को और मजबूत किया।

प्रतिस्पर्धी संघवाद का लाभ

- मात्रात्मक उद्देश्य मानदंड के आधार पर विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में राज्यों की रैंकिंग उन्हें अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- यह प्रत्येक राज्य से सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देने और व्यापार माहौल में सुधार करने और दुनिया भर में सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उभरने में मदद करता है।

भारत में संघवाद का अर्थ:

- संघवाद एक राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता के ऊर्ध्वाधर विभाजन को संदर्भित करता है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सत्ता को एक केंद्रीय प्राधिकरण और अन्य घटकों के बीच विभाजित किया जाता है।
- उदाहरण के लिए भारत में, राजनीतिक शक्ति केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और स्थानीय शासन की संस्थाओं के बीच विभाजित है।

संघीय प्रणाली की चार महत्वपूर्ण विशेषताएं:

सरकार के कई स्तर: संघवाद, इसकी परिभाषा के अनुसार, अपने परिभाषित क्षेत्र में सरकारी कामकाज के कई स्तरों की आवश्यकता होती है।

शक्ति का विभाजन: सत्ता को संस्थाओं के बीच विषयों के विभाजन से विभाजित किया जाता है ताकि संघर्ष की संभावना कम से कम हो।

लिखित संविधान: यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता के संबंधित विभाजन में स्पष्टता हो। फिर से, एक कठोर संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता का यह विभाजन आसानी से भंग न हो।

स्वतंत्र न्यायपालिका: यह सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच विवाद समाधान तंत्र के रूप में कार्य करती है।

राज्य और केंद्र सरकार की अन्योन्याश्रयता:

- भारत ने जानबूझकर संघवाद का एक संस्करण अपनाया जिसने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को एक-दूसरे पर निर्भर किया (बाद में पूर्व की तुलना में अधिक)।
- इस प्रकार एक संघीय संविधान की मूल विशेषता का उल्लंघन करता है, अर्थात संघ और राज्य सरकारों के लिए स्वायत्त क्षेत्र।
- इसी तरह की अन्य संवैधानिक विशेषताओं में शामिल हैं:
- राज्य सभा का आकार और संरचना लोकसभा के समान होती है जिससे बड़े राज्यों को लाभ होता है;

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 जो संघ को राज्य की सीमाओं को बाद की सहमति के बिना बदलने की अनुमति देता है,
- आपातकालीन शक्तियां, और सातवीं अनुसूची के समवर्ती सूची विषय जिसमें कुछ अपवादों को छोड़कर संघ के पास राज्य की तुलना में अधिक अधिकार हैं।

'एक साथ रहना' संघवाद:

- भारत के केंद्रीकृत संघीय ढांचे को 'एक साथ आने' की प्रक्रिया द्वारा चिह्नित नहीं किया गया था, बल्कि 'एक साथ रहने' और 'एक साथ रखने' का परिणाम था।

अविनाशी और लचीलापन:

- बी आर अंबेडकर ने भारत के संघ को एक संघ कहा क्योंकि यह अविनाशी था, इसलिए संविधान में संघवाद से संबंधित शब्द नहीं हैं।
- उन्होंने यह भी कहा कि भारत का संविधान जरूरत के आधार पर संघीय और एकात्मक होने के लिए अपेक्षित लचीलापन रखता है।

संघवाद के प्रकार

- **सहकारी संघवाद:** यह संघीय ढांचे में संस्थाओं के बीच क्षैतिज संबंध को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए भारत एक संघीय देश है जिसकी शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित है। सहकारी संघवाद देश के एकीकृत सामाजिक-आर्थिक विकास की खोज में दो संस्थाओं के बीच सहयोग को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए विभिन्न मुद्दों पर अपने मतभेद होने के बावजूद, केंद्र और राज्यों को एक संकट का सामना करने के लिए एक साथ आने की उम्मीद है, जो देश को पूरी तरह से प्रभावित करता है।
- **प्रतिस्पर्धी संघवाद:** यह राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए उन्हें आर्थिक विकास की खोज में प्रेरित रखने के लिए संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए नीति आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों में संबंधित राज्यों द्वारा प्राप्त प्रगति को प्रदर्शित करने के लिए कई सूचकांक विकसित किए हैं। पिछड़े राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे सबसे आगे चलने वालों के साथ पकड़ने के लिए अतिरिक्त प्रयास करें, जबकि अग्र-धावकों से सूचकांकों में अपनी रैंकिंग बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करने की अपेक्षा की जाती है।
- **राजकोषीय संघवाद:** यह वित्तीय शक्तियों के विभाजन के साथ-साथ संघीय सरकार के कई स्तरों के बीच के कार्यों से संबंधित है। इसके दायरे में कर लगाने के साथ-साथ केंद्र और संघटक इकाइयों के बीच विभिन्न करों का विभाजन है। इसी तरह, करों के संयुक्त संग्रह के मामले में, संस्थाओं के बीच धन के उचित विभाजन के लिए एक उद्देश्य मानदंड निर्धारित किया जाता है। आमतौर पर, विभाजन में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक संवैधानिक प्राधिकरण (जैसे भारत में वित्त आयोग) होता है।

भारत में संघवाद का सर्वोच्च न्यायालय

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बोम्मई बनाम भारत संघ मामला (1994) में माना कि संघवाद भारतीय संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा था।
- कोर्ट ने यह भी माना कि कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ मामले (2006) में संघवाद का भारतीय संस्करण एक मजबूत केंद्र का समर्थन करता है।

भारत में केंद्रीकृत संघीय ढांचे का कारण

- **भारत का विभाजन और सहवर्ती सरोकार:** 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के बाद संविधान सभा की बहस में मुस्लिम लीग की भागीदारी की आशंका, जवाहरलाल नेहरू द्वारा विधानसभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव एक विकेन्द्रीकृत संघीय ढांचे की ओर झुके हुए थे। इसमें राज्यों के पास अवशिष्ट शक्तियां होंगी।

- **राष्ट्र की अखंडता की रक्षा करना**: विभाजन के बाद संविधान सभा की केंद्रीय शक्ति समिति ने सर्वसम्मति से राष्ट्र की अखंडता की रक्षा के लिए अवशिष्ट शक्तियों और कमजोर राज्यों के साथ एक मजबूत संघ के पक्ष में एक संशोधित रुख अपनाया।
- **भारत को सामाजिक समस्याओं से बाहर निकालने में मदद करना, एक मजबूत केंद्र महत्वपूर्ण था:** नेहरू और अम्बेडकर का मानना था कि एक केंद्रीकृत संघीय संरचना सामाजिक प्रभुत्व की प्रचलित प्रवृत्तियों को अस्थिर करेगी, गरीबी से बेहतर तरीके से लड़ने में मदद करेगी और इसलिए मुक्ति के परिणाम प्राप्त करेगी।
- **कल्याणकारी राज्य के निर्माण का उद्देश्य:** एक विकेन्द्रीकृत संघीय व्यवस्था में, संगठित (छोटे और प्रभावशाली) समूहों द्वारा पुनर्वितरण नीतियों को संरचनात्मक रूप से विफल किया जा सकता है। इसके बजाय, एक केंद्रीकृत संघीय सेट-अप ऐसे मुद्दों को रोक सकता है और एक सार्वभौमिक अधिकार-आधारित प्रणाली को आगे बढ़ा सकता है।
- **अंतर-क्षेत्रीय आर्थिक असमानता का उन्मूलन**: बॉम्बे में कपास मिल उद्योग और बंगाल क्षेत्र में जूट मिल उद्योग 'दौड़ से नीचे' या बड़े पैमाने पर लागत में कटौती प्रथाओं के अधीन थे।
    - प्रांतीय हस्तक्षेप असमानताओं को बढ़ाने के लिए लग रहा था।
    - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, नेहरू रिपोर्ट (1928) और बॉम्बे प्लान (1944) में भारत की सदस्यता ने कामकाजी और उद्यमी वर्गों के लिए सामाजिक-आर्थिक अधिकारों और सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली पर जोर दिया।

निष्कर्ष

- स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भारत के लिए विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

रवि सिंह

पीरियड प्रोडक्ट्स एक्ट: स्कॉटलैंड

- स्कॉटलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है, जिसने पीरियड प्रोडक्ट्स एक्ट पास करके फ्री पीरियड प्रोडक्ट्स को एक्सेस करने और पीरियड प्रोडक्ट्स को सभी के लिए फ्री बनाने के अधिकार की कानूनी रूप से रक्षा की है।
- अवधि गरीबी तब होती है जब कम आय वाले लोग आवश्यक अवधि के उत्पाद (जैसे टैम्पोन, सैनिटरी पैड, आदि) का खर्च नहीं उठा सकते हैं या उन तक पहुंच नहीं सकते हैं।

स्कॉटलैंड की पहल

- अवधि उत्पाद अधिनियम के तहत, स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के साथ-साथ स्थानीय सरकारी निकायों को अपने बाथरूम में विभिन्न प्रकार के पीरियड उत्पाद मुफ्त में उपलब्ध कराने होंगे।
- स्कॉटलैंड में प्रत्येक परिषद को मासिक धर्म/अवधि उत्पादों के लिए सर्वोत्तम पहुंच बिंदु निर्धारित करने के लिए स्थानीय समुदायों के साथ काम करना आवश्यक है।

अभिगम्यता:

- मोबाइल फोन ऐप (PickUpMyPeriod) लोगों को निकटतम स्थान खोजने में भी मदद करता है जैसे स्थानीय पुस्तकालय या सामुदायिक केंद्र जहां वे अवधि के उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं।
- पुस्तकालयों, स्विमिंग पूल, सार्वजनिक जिम, सामुदायिक भवनों, टाउन हॉल, फार्मेसियों और डॉक्टर के कार्यालयों में अवधि के उत्पाद उपलब्ध होंगे।

भारत में मासिक धर्म स्वच्छता की स्थिति:

वर्ष 2011 में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) के एक अध्ययन के अनुसार:

- भारत में केवल 13% लड़कियों को मासिक धर्म से पहले मासिक धर्म की जानकारी होती है।
- मासिक धर्म के कारण 60% लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं।
- मासिक धर्म के कारण 79% को कम आत्मविश्वास का सामना करना पड़ा और 44% प्रतिबंधों से शर्मिंदा और अपमानित हुए।
- मासिक धर्म महिलाओं की शिक्षा, समानता, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5:

15-24 वर्ष की आयु की महिलाओं में मासिक धर्म उत्पादों का उपयोग:

- सत्रह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 90% या अधिक महिलाएं पीरियड उत्पादों का उपयोग करती हैं।
- पुडुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पीरियड उत्पादों का उपयोग करने वाली महिलाओं की हिस्सेदारी 99% थी।
- त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, असम, गुजरात, मेघालय, मध्य प्रदेश और बिहार – 70% या उससे कम महिलाएं मासिक धर्म के उत्पादों का उपयोग करती हैं।
- बिहार इकलौता ऐसा राज्य है जहां 60 फीसदी से भी कम का आंकड़ा दर्ज किया गया है|

शीर्ष तीन राज्यों ने एनएफएचएस 4 से एनएफएचएस 5 तक महिलाओं के पीरियड उत्पादों के उपयोग में वृद्धि की सूचना दी:

- बिहार: 90%
- ओडिशा: 72%
- मध्य प्रदेश: 61%

YOJNA IAS

मासिक धर्म स्वच्छता के लिए भारत सरकार की पहल:

स्वच्छता योजना:

- शुचि योजना का उद्देश्य किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करना है।
- इसे 2013-14 में शुरू में केंद्र प्रायोजित रूप में लॉन्च किया गया था।
- हालांकि, केंद्र ने राज्यों से 2015-16 से इस योजना को अपने हाथ में लेने को कहा है।

मासिक धर्म स्वच्छता योजना:

- मासिक धर्म स्वच्छता योजना 2011 चयनित जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में किशोरियों (10-19 वर्ष) के बीच मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

सबला कार्यक्रम:

- इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था।

- यह पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता और प्रजनन और यौन स्वास्थ्य पर केंद्रित है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन:

- यह स्वयं सहायता समूहों और छोटे निर्माताओं को सैनिटरी पैड बनाने में मदद करता है।

स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छ भारत: स्वच्छ विद्यालय (एसबी: एसवी):

- मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन भी स्वच्छ भारत मिशन का एक अभिन्न अंग है।

स्वच्छता में लिंग संबंधी मुद्दों के लिए दिशानिर्देश (2017):

- इन्हें पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा स्वच्छता के संबंध में महिलाओं और लड़कियों के लैंगिक समानता और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया है।
- सुरक्षित और प्रभावी मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन किशोरियों और महिलाओं के बेहतर और मजबूत विकास के लिए एक आवश्यक घटक है।

मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश:

- इसे पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में जारी किया गया था।
- यह जागरूकता बढ़ाने, व्यवहार में बदलाव लाने, बेहतर स्वच्छता उत्पादों की बढ़ती मांग और क्षमता निर्माण सहित मासिक धर्म स्वच्छता के हर घटक को संबोधित करता है।

निष्कर्ष:

- भारत सरकार को भी स्कॉटलैंड के दृष्टिकोण पर विचार करना चाहिए और अवधि उत्पाद या उचित मूल्य/छूट प्रदान करना चाहिए।
- सरकार कम लागत वाले पैड को अधिक आसानी से उपलब्ध कराने के लिए छोटे पैमाने पर सैनिटरी पैड निर्माण इकाइयों को भी बढ़ावा दे सकती है, इससे महिलाओं के लिए आय सृजन में भी मदद मिलेगी।
- सरकार को मासिक धर्म और मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता और शिक्षा, और सुरक्षित उत्पादों, पानी, स्वच्छता और स्वच्छता (WASH) के बुनियादी ढांचे तक पहुंच के लिए निर्देशित प्रयास प्रदान करने की आवश्यकता है।
- यद्यपि केवल सरकारी प्रयासों से मासिक धर्म स्वास्थ्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है, एक सामाजिक मुद्दे के रूप में समुदाय और पारिवारिक स्तर के हस्तक्षेप आवश्यक हैं।

स्वदीप कुमार

गैबॉन प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा

- हाल ही में गैबॉन के एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया और भारतीय व्यापार समुदाय के साथ बातचीत की, साथ ही भारत ने गैबॉन को उसके स्वतंत्रता दिवस (17 अगस्त) पर बधाई दी।
- इससे पहले, भारत के उपराष्ट्रपति ने गैबॉन का दौरा किया, जहां उन्होंने दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

एमओयू क्या हैं:

- भारत सरकार और गैबॉन के बीच एक संयुक्त आयोग की स्थापना।
- राजनयिक प्रशिक्षण संस्थान, सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान और गैबोनी विदेश मंत्रालय।
- भारत ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तरों पर विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए गैबॉन के साथ काम करने के लिए हस्ताक्षर किए।

भारत-गैबॉन साझेदारी:

कूटनीतिक:

- गैबॉन के स्वतंत्रता-पूर्व युग के बाद से भारत और गैबॉन के बीच सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं।
- भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति ने मई 2022 में अफ्रीकी राष्ट्र गैबॉन का दौरा किया, जो भारत की पहली उच्च स्तरीय गैबॉन यात्रा थी।
- भारत और गैबॉन दोनों वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के अस्थायी सदस्यों के रूप में कार्य करते हैं।

व्यापार एवं वाणिज्य:

- दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2021-22 में 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है।
- गैबॉन से निर्यात के लिए भारत दूसरा सबसे बड़ा गंतव्य है।
- व्यावसायिक क्षेत्र में, 50 से अधिक भारतीय कंपनियां गैबॉन विशेष आर्थिक क्षेत्रों में लगी हुई हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सहयोग:

- भारत और गैबॉन दोनों गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) के सदस्य हैं।
- NAM विकासशील दुनिया के लिए प्रासंगिक समकालीन मुख्यधारा के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- गैबॉन विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के हितों का समर्थन करता है।
- भारत ने गैबॉन को 2022-23 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में चुने जाने पर बधाई दी।
- भारत ने अजुलविनी सर्वसम्मति और सिर्ते घोषणा में निहित सामान्य अफ्रीकियों की स्थिति का समर्थन किया है।

YOJNA IAS

- अजुल्विनी सर्वसम्मति अंतरराष्ट्रीय संबंधों और संयुक्त राष्ट्र के सुधार पर एक समझौता है, जिस पर अफ्रीकी संघ द्वारा सहमति व्यक्त की गई है।
- यह एक अधिक प्रतिनिधि और लोकतांत्रिक सुरक्षा परिषद की मांग करता है, जिसमें दुनिया के अन्य देशों की तरह अफ्रीका का प्रतिनिधित्व किया जाता है।
- सिरते घोषणा (1999), अफ्रीकी संघ की स्थापना के लिए अपनाया गया एक प्रस्ताव था।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन:

- गैबॉन अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर करने और इसकी पुष्टि करने वाले पहले देशों में से एक है।
- भारत ने गैबॉन को उसके नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है।
- गैबॉन ने 2030 तक 100% स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करने की योजना बनाई है।

शिक्षा:

- कई गैबॉन नागरिक भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) और आईसीसीआर योजनाओं के तहत भारत द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पालन करते हैं।

ऊर्जा सहयोग:

- भारत ने वर्ष 2021-22 में गैबॉन से लगभग 670 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का कच्चा तेल आयात किया, जिससे यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकता के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार बन गया।

भारतीय प्रवासी:

- भारतीय समुदाय के लोग मूल रूप से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, व्यापार, लकड़ी और धातु स्क्रैप के निर्यात में लगे हुए हैं।
- भारतीय प्रवासी गैबॉन के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।
- गैबॉन में भारतीय समुदाय ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और प्रमुख भारतीय त्योहार पूरे समुदाय द्वारा एक साथ मनाए जाते हैं।

निष्कर्ष

- हरित ऊर्जा, सेवाओं, स्वास्थ्य और कृषि जैसे अन्य क्षेत्रों में भारत-गैबॉन सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है।
- दोनों देशों को निवेश आकर्षित करने के लिए अपनी आर्थिक साझेदारी का विस्तार करना चाहिए।
- भारत से गैबॉन को कृषि क्षेत्र में ज्ञान हस्तांतरण जैसे कृषि में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं।

स्वदीप कुमार

YOJNA IAS